रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1971/कार्तिक 21, 1893

No. 201] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1971/KARTIKA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th November 1971

G.S.R. 1729.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and of all otther powers hereunto enabling, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.213-Customs, dated the 10th September, 1963.

[No. 94/F. No. 355/90/71-Cus.I.]

J. DATTA, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 1729.—सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 213-सीमा-शुल्क तारीख 10 सितम्बर 1963 को एतद्द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० 94/का० सं० 355/(90)/71-पी०ए०-1]

ज्योतिमय दत्त, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971